

राजस्थान राजकार
स्वायत्त शासन विभाग राजा० जयपुर

क्रमांक. प.10(न.पा.)(ब.घो.)(क्रगोन्नत)डीएलबी/23/ ३।२।

दिनांक: १/८/२०२३

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 329 सपष्टित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एन.सी.आर. क्षेत्र एवं बढ़ते हुए औद्योगिकरण को दृष्टिगत रखते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2428 दिनांक 17/07/2023 के द्वारा निर्धारित मानकों में शिथिलन देते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा नगर परिषद अलवर (जिला—अलवर) को नगर नियम में क्रगोन्नत किया किया जाता है। यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरेण्ठ कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विषिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(ब.घो.)(क्रगोन्नत)डीएलबी/23/ ३।२।-३।२।० दिनांक: १/८/२०२३
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री / मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजा० जयपुर।
03. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, शासन सचिवालय राजा० जयपुर को अतिरिक्त पद एवं व्ययभार स्वीकृति हेतु।
04. निजी राचिव, सचिव, राज्य निवाचन आयोग, शासन सचिवालय राजा० जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विषिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजा० जयपुर।
06. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजा० विभाग जयपुर।
07. निदेशक, जनगणना विभाग, झालाना डूंगरी, राजा० जयपुर।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजा० जयपुर।
09. रांभागीय आयुक्त जयपुर एवं जिला कलेक्टर अलवर राजस्थान।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राजा० जयपुर।
11. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजा० जयपुर को आगामी असाधारण अंकराज संजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 10 प्रतिया उपलब्ध कराये जाने हेतु।